अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-1. फिरोजाबाद

सत्र परीक्षण संख्या 164/2018

सरकार बनाम ब्रजेश कुमार

06-09-2021

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त ब्रजेश कुमार के द्वारा हाजिरी मॉफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा पत्रावली पर साक्षी पी०डब्लू०-4 उपनिरीक्षक प्रेम नरायन शर्मा जिनके द्वारा पंचायतनामा भरा गया है उनसे सम्बंधित अन्य अभिलेखों को सिद्ध कराने हेतु 60 ब प्रार्थना पत्र को दिया गया है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा किसी आपत्ति को नहीं किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन करने पर पाया गया है कि साक्षी प्रेम नरायन शर्मा के द्वारा पंचायतनामा के विलेख को सिद्ध किया गया है लेकिन, उनके द्वारा मृतक के शव को पोस्टमार्टम हेतु प्रेषित करने के संदर्भ में तैयार किये गये अन्य अभिलेखों को साक्ष्य में प्रदर्श के रूप में सिद्ध नहीं कराया गया है। जिसके सम्बंध में अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-4 उपनिरीक्षक प्रेम नरायन शर्मा को पुनः प्रतिपरीक्षा में तलब किये जाने हेतु पर्याप्त आधार उत्पन्न होता है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र 60 ब को स्वीकार किया जाता है। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-4 को पुनः साक्ष्य में प्रस्तुत करने हेतु व अन्य साक्षी एच०एम० रामकिशन , कां० योगेश कुमार, डा० बाई०के० शर्मा व डा० अनिल कुमार पर समन प्रेषित कर नियत दिनांक हेतु तलब करना सुनिश्चित करें। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 16.09.2021 को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं०-1, फिरोजाबाद।